

हरियाणा सरकार

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 1998

सं. सा.का.नि. 139/सवि./अनु. 309/98. -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग (ग्रुप क तथा ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग I - सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग (ग्रुप क तथा ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998. कहे जा सकते हैं ।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

- (क) "प्रशासनिक सचिव" से अभिप्राय है, सचिव हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग ;
- (ख) "मुख्य वन्य प्राणी वार्डन" से अभिप्राय है, मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा ;
- (ग) "आयोग" से अभिप्राय है, लोक सेवा आयोग हरियाणा ;
- (घ) "उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन" से अभिप्राय है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन ;
- (ङ) "मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी ;
- (च) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

Off. Secy. to Govt.
Haryana, Patna
Warden

(ज) "संस्था" से अभिप्राय है, --

- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
- (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(झ) "उच्च स्नातक उपाधि" से अभिप्राय है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से वन्य प्राणी प्रबन्ध में संचालित उच्च स्नातक उपाधि ;

(ञ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, --

- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा कार्यकारी (ग्रुप क तथा ग्रुप ख) सेवा।

भाग II- सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने से सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भा व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, --

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या

- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युंगाडा तथा तंजानिया से संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाबिया, मालावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रावासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों और उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलि-भाति परिचित हों और जो उसके महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में ग्रुप क के किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पच्चीस वर्ष की आयु से कम तथा पैंतालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो और कोई भी व्यक्ति ग्रुप ख में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम तथा पैंन्तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी ।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से

अन्यथा की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर, 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा की ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा की कर ली है।
सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :--

ग्रुप क :

(क) मुख्य वन्य प्राणी की दशा में,--

(i) उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) मुख्य वन संरक्षक वन विभाग में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की दशा में,--

(i) मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

भाग IV

हरियाणा सरकार

वन विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 31 अक्तूबर, 2005

हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग III, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 139/ संवि०/ अनु० 309/98, दिनांक 27 मार्च, 1998 के मूल हिन्दी पाठ में,—

1. (i) प्रस्तावना में, “हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, (ग्रुप-क तथा ख) सेवा” के स्थान पर, “हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ख) सेवा” पढ़ा जाए ;
- (ii) नियम 1 में, उप-नियम (1) में “हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, (ग्रुप-क तथा ख) सेवा” के स्थान पर, “हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ख) सेवा” पढ़ा जाए ;
2. नियम 9 में, उप-नियम (1) में,—
 - (i) ग्रुप क में, खण्ड (क) में “मुख्य वन्य प्राणी” के स्थान पर, “मुख्य वन्य प्राणी वार्डन” पढ़ा जाए ;
 - (ii) ग्रुप ख में, खण्ड (ग) में,—
 - (क) “वन्य प्राणी अधिकारी” के स्थान पर, “मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी” पढ़ा जाए ;
 - (ख) उप-खण्ड (i) तथा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड पढ़े जाएं,—
 - “(i) 50% मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या ।
 - (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; या” ।
3. नियम 11 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड पढ़ा जाए, :—
 - “(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;” ।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

(iii) उप वन संरक्षक या अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक वन विभाग में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

ग्रुप ख

(ग) वन्य प्राणी अधिकारी की दशा में, -

(i) मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा !

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, -

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पद व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि से गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा, किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, -

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में किसी अन्य ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसके पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में, उसका आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से, पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उस सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है और उसके बाद आदेश दे सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा के विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा, निश्चित ज्येष्ठता को परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी, -

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोट सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :-

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा, राज्य के भीतर नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वातन्त्र्य निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैरसरकारी निकाय :

परन्तु सेवा की किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना, खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई या उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें।

अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियाँ लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड ग या खण्ड घ के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहाँ, सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशत किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों के अनुरूप इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू कोई नियम इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी	जोड़	वेतनमान
-------------	-------	----------------	--------	---------	------	---------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ग्रुप क

1	मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	1	--	1	5900-200-6700
---	-----------------------------	---	----	---	---------------

2	उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	1	--	1	3000-100-3500-125-4500 समय वेतनमान 5 वर्ष तक और इसके बाद 3700- 125-4700-150-5000 रुपये
---	--------------------------------	---	----	---	--

ग्रुप ख

3	मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी	--	1	1	2000-60-2300-द.रो.-75-3200- 100-3500 रुपये समय वेतनमान 5 वर्ष तक और 5 वर्ष बाद 2200-75-2800-द.रो.- 100-4000 रुपये
---	--------------------------------	----	---	---	--

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
-------------	-------	---	---

1 2 3 4

शृप क

1 मुख्य वन्य प्राणी
वार्डन

--

पदोन्नति द्वारा--

(1) (i) उप मुख्य वन्य प्राणी
वार्डन के रूप में आठ
वर्ष का अनुभव;

(ii) वन्य प्राणी प्रबन्ध में
स्नातकोत्तर उपाधि
या

स्थानांतरण द्वारा।

(2)

वन विभाग से मुख्य वन
संरक्षक की पदवी का
कोई अधिकारी।

पदोन्नति द्वारा--

2 उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन (i) भारतीय वन्य प्राणी संस्थान
देहरादून से कम से कम 50
प्रतिशत अंकों के साथ एम.एस.
सी. उपाधि सहित जीव विज्ञान/
कृषि/वानिकी में स्नातकोत्तर
उपाधि;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान।

(i) निम्नलिखित कोई दो
विषयों के साथ विज्ञान
स्नातक :--

(क) वनस्पति विज्ञान

(ख) जीव विज्ञान

(ग) रसायन विज्ञान

(घ) भौतिक विज्ञान

(ङ) वानिकी

(च) कृषि

1

2

3

4

(ii) मण्डलीय वन्य प्राणी
अधिकारी के रूप में पांच
वर्ष का अनुभव

या

स्थानान्तरण द्वारा ;

(iii) अतिरिक्त सहायक वन
संरक्षक/सहायक वन
संरक्षक के रूप में आठ
वर्ष का अनुभव

या

(iv) वन विभाग से उप वन
संरक्षक ।

गुण ख

मण्डलीय वन्य प्राणी (1) निम्नलिखित में से किन्हीं
अधिकारी दो विषयों के साथ उपाधि :—

- (क) वनस्पति विज्ञान
- (ख) जीव विज्ञान
- (ग) रसायन विज्ञान
- (घ) भौतिक विज्ञान
- (ङ) कृषि
- (च) वानिकी ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

पदोन्नति द्वारा—

मण्डलीय वन्य प्राणी
निरीक्षक के रूप में पांच
वर्ष का अनुभव ;
स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति
द्वारा ।

(i) मण्डलीय वन्य प्राणी
निरीक्षक के रूप में
पांच वर्ष का अनुभव ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
-------------	-------	---------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

गुप्त क

1	मुख्य दान्य सरकार प्राणी वार्डन	1. छोटी शास्तिवां-- सरकार	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी पर प्रति रखते हुये चेतावनी);	सरकार	सरकार	--
		(ii) परिनिन्दा;				
		(iii) पदोन्नति रोकना;				
		(iv) आदेशों की अपेक्षा	या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यापक निकाय चाहे वह निर्णयित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वा-भित्तव या नियंत्रण सरकार के पास			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

है या संसद
या राज्य विधान
मण्डल के अधिनियम
द्वारा स्थापित
किसी स्थानीय
प्राधिकरण या
विश्वविद्यालय को
हुई धन सम्बन्धी
हानि को पूरी
या उसके भाग
के वेतन से
वसूली;

- (v) संचयी प्रभाव के
बिना वेतन
वृद्धियां रोकना।

2. बड़ी शास्तियां - - सरकार

- (vi) संचयी प्रभाव
से वेतन
वृद्धियां रोकना;

- (vii) किसी विनिर्दिष्ट
अवधि के लिये
समयमान में
निम्नतर प्रक्रम पर
अवतरति ऐसे
अतिरिक्त निर्देशों
सहित कि क्या
सरकारी कर्मचारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ऐसी अवनति
को अवधि के
दौरान वेतन
वृद्धियां अर्जित करेगा
या नहीं और
क्या ऐसी अवधि
की समाप्ति पर
ऐसी अवनति उसकी
भावी वेतन वृद्धियां
स्थगित करने का
प्रभाव रखेगी
या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान
ग्रेड, पद या
सेवा पर ऐसी
अवनति जो सरकारी
कर्मचारी के
उस समय वेतनमान
ग्रेड, पद या
सेवा पर जिससे
वह अवनत किया गया
था पदोन्नति के
लिये साधारणतया
रोक होगी ऐसा जिस
ग्रेड अथवा पद
अथवा सेवा से
सरकारी कर्मचारी
अवनत किया गया

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- था उस पर
बहाली सम्बन्धी
और उसकी
ज्येष्ठता तथा
उस ग्रेड, पद
या सेवा पर
वेतन के बारे
है शर्तों सम्बन्धी
अतिरिक्त निदेशों
के साथ या
उसके बिना होगा;
(viii) अनिवार्य सेवा
निवृत्ति;
(ix) सेवा से हटाया
जाना जो सरकार
के अधीन भावी
नियोजन के लिये
निरर्हता नहीं होगी;
(x) सेवा से पदच्युति
जो सरकार के
अधीन भावी
नियोजन के
लिये सामान्यतः
निरर्हता होगी।

गुप ख

- 1 मण्डलीय सरकार 1. छोटी शास्तियां: प्रशासनिक सरकार --
वन्य (1) वैयक्तिक फाईल सचिव
प्राणी आचरण पंजी
अधिकारी पर प्रति

1 2 3 4 5 6 7 8 9

रखते हुये

चेतावनी ;

(ii) परिनिन्दा;

(iii) पदोन्नति

रोकना ;

(iv) आदेशों की

अपेक्षा या

उल्लंघन द्वारा

केन्द्रीय सरकार

या राज्य सरकार

को या ऐसी

कम्पनी, संगम

तथा व्यक्ति

निकाय चाहे

वह निगमित

या नहीं जिसका

पूर्ण या अधिकांश

स्वामित्व या

नियंत्रण सरकार

के पास है या

संसद या राज्य

विधान मण्डल

के अधिनियम

स्थापित किसी

स्थानीय प्राधिकरण

या विश्वविद्यालय

को हुई धन

सम्बन्धी हानि

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

निकट के लिए

1 2 3 4 5 6 7 8 9

भाग के वेतन
से वसूली;

(v) संचयी प्रभाव के
बिना वेतन
वृद्धियां रोकना।

2. बड़ी शस्तियां: सरकार सरकार --

(vi) संचयी प्रभाव से
वेतन वृद्धियां
रोकना;

(vii) किसी विनिर्दिष्ट
अवधि के लिये
समयमान में
निम्नतर प्रक्रम पर
अवनति ऐसे
अतिरिक्त निर्देशों
सहित कि क्या
सरकारी कर्मचारी
ऐसी अवनति को
अवधि के दौरान
वेतन वृद्धियां
अर्जित करेगा या
नहीं और क्या
ऐसी अवधि को
समाप्ति पर
ऐसी अवनति
उसकी भावी वेतन
वृद्धियां स्थगित

1 2 3 4 5 6 7

करने का प्रभाव
रखेगी या नहीं;

(viii) निम्नतर वेतनमान

ग्रेड, पर या
सेवा पर ऐसी
अवनति जो सरकारी
कर्मचारी के उस
समय वेतनमान,
ग्रेड, पद या
सेवा पर जिससे
वह अवनत किया
गया था पदोन्नति
के लिये साधारणतया
रोक होगी ऐसा
जिस ग्रेड अथवा
पद अथवा सेवा
से सरकारी कर्मचारी
अवनत किया गया
था उस पर
बहाली सम्बन्धी
और उसकी ज्येष्ठता
तथा उस ग्रेड,
पद या सेवा पर
वेतन के बारे
है शर्तों सम्बन्धी
अतिरिक्त निदेशों
के साथ या
उसके बिना होगा;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(ix) अनिवार्य सेवा

निवृत्ति;

(x) सेवा से हटाया

जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये

निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से पदच्युति

जो सरकार के

अधीन भावी नियोजन

के लिये सामान्यतः

निरर्हता होगी

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम पदनाम आदेश का स्वरूप आदेश करने अपील द्वितीय तथा अंतिम अपील
संख्या के लिये प्राधिकारी प्राधिकारी, यदि कोई हो

सशक्त प्राधिकारी
1 2 3 4 5 6

ग्रुप क

1. मुख्य वन्य (i) पेंशन को सरकार सरकार सरकार

प्राणी वार्डन नियंत्रित करने

2. उप मुख्य वन्य प्राणी वाले नियमों के अधीन उसे

वार्डन अनुज्ञेय, सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन

की राशि से

कमी करना

या रोकना;

(ii) उसकी अधि- वर्षिता के लिये

नियम आयु के होने से

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

ग्रुप ख

1. मण्डीय वन्य प्राणी अधिकारी

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।

ए.सी. दीसौदिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

WILDLIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 1998

No. G.S.R.139/Const./Art.309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service, 1998, namely :--

PART I-GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) "Administrative Secretary" means Secretary to Government, Haryana, Wildlife Preservation Department;
- (b) "Chief Wildlife Warden" means Chief Wildlife Warden, Haryana;
- (c) "Commission" means the Haryana Public services Commission;
- (d) "Deputy Chief Wildlife Warden" means the Deputy Chief Wildlife Warden, Haryana appointed as such by the Government;
- (e) "Divisional Wildlife Officer" means the Divisional Wildlife Officer appointed as such by the Government;
- (f) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

- (g) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (h) "institution" means ;--
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (i) "post graduate diploma" means the Post Graduate Diploma Course in Wildlife Management conducted by Wildlife Institute of India, Dehradun;
- (j) "recognized University" means,--
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university which is declared by Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
- (k) "Service" means Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service;

Number and character of posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--

- (a) a citizen of India; or

- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of India origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour of a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age :

5. No person shall be appointed to any post in Group A Service by direct recruitment who is less than twenty five years and more than forty five years of age and no person shall be appointed to any post in Group B Service by direct recruitment who is less than twenty one years and more than thirty five years, on the last date of submission of application to Commission.

Appointing authority :

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience

specified in column 3 of the Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, other backward classes, ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person,--

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

(a) in Group A case of Chief Wildlife Warden,--

- (i) by promotion from amongst Deputy Chief Wildlife Warden; or
- (ii) by transfer or deputation of Chief Conservator of Forest in Forest Department;

(b) in case of Deputy Chief Wildlife Warden,--

- (i) by promotion from amongst Divisional Wildlife Officers; and
- (ii) by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of Deputy Conservator of Forest, Extra Assistant Conservator Forest/Assistant Conservator Forest or Deputy Conservator Forest in the Forest Department;

(c) in case of Divisional Wildlife Officer,--

(i) 50% by promotion from amongst Divisional Inspector Wildlife; and

(ii) 50% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of the State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that,--

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy;

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

- (i) revert him to his former post; or
- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointment against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, has not satisfactory,--

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed, on the expiry of the first period or probation:

Provided that the period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, interse of members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointment by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to the member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointments; and if the rates of pay drawn are also the same, then by length of their Service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

- (iii) any other State Government, an international Organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters :

12. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to

be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions :

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the orders of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50%, at any time.

Repeal and Savings :

20. Any rules applicable to the Service and corresponding to any of these rules which are in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX-A
[See rule 3]

Sr. No.	Designation of Posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
GROUP-A					
1.	Chief Wildlife Warden, Haryana	--	1	1	Rs. 5,900--200--6,700
2.	Deputy Chief Wildlife Warden, Haryana	1	--	1	Rs. 3,000--100--3,500--125--4,500 time scale upto 5 years and thereafter Rs. 3,700--125--4,700--150--5,000
GROUP-B					
1.	Divisional Wildlife Officer	--	1	1	Rs. 2,000--60--2,300--EB--75--3,200--100--3,500 time scale upto 5 years and after five years Rs. 2,200--75--2,800--EB--100--4,000

APPENDIX-B

[See rule-7]

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3

Group-A

1. Chief Wildlife Warden

By promotion--

(i) Post Graduate Diploma in Wildlife Management; and

(ii) 8 years experience as Deputy Chief Wildlife Warden.

By Transfer

An officer of the rank of Chief Conservator of Forests from the Forest Department.

2. Deputy Chief Wildlife Warden

(i) Master's Degree in Zoology/Agriculture/Forestry with at least 50% marks or M.Sc. degree in wildlife from Wildlife Institute of India, Dehradun;

(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

By promotion--

(i) B.Sc. with any two of the following subjects :--

(a) Botany (b) Zoology
(c) Chemistry (d) Physics
(e) Forestry (f) Agriculture, and

(ii) 5 years experience as Divisional Wildlife Officer

By transfer--

8 years experience as Extra Assistant Conservator of Forest/ Assistant Conservator Forests from Forest Department.

or

Deputy Conservator of Forests from Forest Department.

1	2	3
	APPENDIX-C	
	Group-B	
1	Divisional Wildlife Officer	(i) Bachelor's degree with any two of the following subjects :- (a) Botany (b) Zoology (c) Chemistry (d) Physics (e) Agriculture (f) Forestry; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
		By promotion-- 5 years service as Divisional Inspector Wildlife By transfer or deputation (i) 5 years experience as Divisional Inspector Wildlife; and (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

APPENDIX-C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7

Group-A

- | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|---|------------|------------|----|
| 1. | Chief Wildlife Warden | Government | Minor Penalties-- | Government | Government | -- |
| 2. | Deputy Chief Wildlife Warden | | (i) Warning with a copy on the personal file; [Character roll] | | | |
| | | | (ii) censure; | | | |
| | | | (iii) withholding of promotion; | | | |
| | | | (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up | | | |

1 2 3 4 5 6 7

by an Act of
Parliament or of
the Legislature
of a State;

- (v) withholding of
increments of
pay without
cumulative
effect;

Major Penalties--

- (v-a) withholding of Government
increments of
pay with cum-
ulative effect;

- (vi) reduction to
a lower stage
in the time
scale of pay
for a speci-
fied period,
with further
directions as
to whether or
not the Govern-
ment employee
will earn in-
crements of
pay during the
period of such
reduction and
whether on
the expiry of
such period,
the reduction
will or will not
have the
effect of post-
poning the
future incre-
ments of his
pay;

- (vii) reduction to
a lower scale

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

of pay, grade,
post or service
which shall
ordinarily be
a bar to the (v)
promotion of
the Govern-
ment employee
to the time
scale of pay,
grade, post or
service from (v-v)
which he was
reduced, with
or without
further direc- (iv)
tions regard-
ing conditions
of restoration
to the grade
or post or
service from
which the
Government
employee was
reduced and
his seniority
and pay on
such restora-
tion to that
grade, post or
service;

- (viii) compulsory retirement;
 - (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
 - (x) dismissal from service which
-

1 2 3 4 5 6 7

shall ordinarily
be a disqualifi-
cation for future
employment under
the Government.

Group-B

1. Divisional Wild- Government
life Officer

MINOR PENALTIES: Administra- Government --
tive

- (i) Warning with a Secretary
copy on the
personal file;
[Character roll]
- (ii) censure;
- (iii) withholding of
promotion;
- (iv) recovery from
pay of the
whole or part
of any pecuni-
ary loss caused
by negligence
or breach of
orders, to the
Central Govern-
ment or State
Government or
to a Company
and associa-
tion or a body
of individuals
whether in-
corporated or
not which is
wholly or sub-
stantially
owned or con-
trolled by the
Government or
to a local
authority or
university set
up by an Act

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

of Parliament
or of the
Legislature of
a State;

- (v) withholding of
increments of
pay without
cumulative
effect;

MAJOR PENALTIES: Government Government --

- (v-a) withholding of
increments of
pay with cum-
ulative effect;

- (vi) reduction to a
lower stage in
the time scale
of pay for a
specified
period, with
further direc-
tions as to
whether or not
the Government
employee will
earn increments
of pay during
the period of
such reduction
and whether on
the expiry of
such period,
the reduction
will or will
not have the
effect of post-
poning the
future incre-
ments of his
pay;

- (vii) reduction to
a lower scale

2

3

4

5

6

7

of pay, grade,
post or service
which shall
ordinarily be a
bar to the pro-
motion of the
Government em-
ployee to the
time scale of
pay, grade,
post or service
from which he
was reduced,
with or with-
out further
directions
regarding
conditions of
restoration to
the grade or
post or service
from which the
Government em-
ployee was
reduced and
his seniority
and pay on
such resotra-
tion to that
grade, post or
service;

(viii) compulsory
retirement;

(ix) removal from
service which
shall not be
a disqualifica-
tion for future
employment
under the
Government;

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.
-

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. no.	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6

GROUP-A :

- | | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 1. | Chief Wildlife Warden | (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; | Government | Government | Government |
| 2. | Deputy Chief Wildlife Warden | | | | |

GROUP-B :

- | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Divisional Wildlife Officer | (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|

H.C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Wildlife Preservation Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अगस्त, 2013

संख्या सा०का०नि० 19/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1998, (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (i) में “मण्डलीय” शब्द का लोप कर दिया जायेगा।
3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
ग्रुप क					
1.	मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	1	—	1	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान ₹ 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%) ₹ 79000
2.	उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	1	—	1	पी०बी०-3 : ₹ 15600-39100+ ₹ 6000 ग्रेड वेतन
ग्रुप ख					
3.	मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी	2	1	3	पी०बी०-2 : ₹ 9300-34800+ ₹ 4600 ग्रेड वेतन”।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में,—

(क) “ग्रुप क” शीर्ष के नीचे,—

(I) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 4 के नीचे, “स्थानान्तरण द्वारा” शीर्ष के नीचे, मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(i) वन विभाग से मुख्य वन संरक्षक की पदवी का कोई अधिकारी;

(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत”;

(II) क्रम संख्या 2 के सामने :—

(i) खाना 3 के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत”;

(ii) खाना 4 के नीचे, “स्थानान्तरण द्वारा” शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(i) अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;

अथवा

वन विभाग से उप वन संरक्षक ; तथा

(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;”।

(ख) “ग्रुप ख” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने,—

(I) खाना 3 के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत”;

(II) खाना 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“पदोन्नति द्वारा—

वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—

(i) वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव;

(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।”।

रमेन्द्र जाखू,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

वन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 20th August, 2013

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), in clause (c), in sub clause (i), the word "Divisional" shall be omitted.

3. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"APPENDIX-A

(See rule 3)

S. No.	Designation of Posts	Number of Posts			Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
Group-A					
1.	Chief Wildlife Warden	1	—	1	Higher Administrative Grade Scale ₹ 67000 (Annual increment 3%) 79000
2.	Deputy Chief Wildlife Warden	1	—	1	PB-3 ₹15600-39100+₹6000 Grade Pay
Group-B					
3.	Divisional Wildlife Officer	2	1	3	PB-2 ₹9300-34800+₹4600 Grade Pay".

4. In the said rules, in Appendix-B,—

(a) under heading "Group A",—

(I) against serial number 1, under column 3, under heading "By transfer", the following items shall be substituted, namely :—

“(i) An officer of the rank of Chief Conservator of Forests from the Forest Department;

(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education”.

(II) against serial number 2,—

(i) under column 2, for item (ii), the following item shall be substituted, namely :—

“(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education”;

(ii) under column 3, under heading "By transfer", for the existing items, the following items shall be substituted, namely :—

“(i) Eight years experience as Extra Assistant Conservator of Forest/Assistant Conservator of Forest from Forest Department;

or

Deputy Conservator of Forests from Forest Department; and

(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.”;

(b) under heading "Group B", against serial number 1,—

(I) under column 2, for item (ii), the following item shall be substituted, namely :—

“(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education”;

(II) under column 3, the following entries shall be substituted, namely :—

“By promotion—

10 years experience as Inspector Wildlife;

By transfer or deputation—

(i) 10 years experience as Inspector Wildlife;

(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.”.

RAMENDRA JAKHU,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Forest Department.